E-Mail

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : स्था0/2023/3803-3873 दिनांक : 24 APR 2023

–::विज्ञप्ति::–

कोटा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में वर्तमान में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्न प्रकार रिक्त पदों के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/IA-4(i)(a)55/16/3729 दिनांक 18.06.2016 एवं G/IA-4(i)(a)55/16/36 दिनांक 17.01.2023 एवं G/IA-4(i)(a)55/16/175 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों से संविदा/राज्य सरकार के विभागों/PSUs से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राथमिकता के क्रम में ली जानी है:–

1. आशुलिपिक संवर्ग – 3 पद
2. मंत्रालयिक संवर्ग – 64 पद
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग – 160 पद

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन निम्नांकित वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा :–

मंत्रालयिक संवर्ग हेतु :–

01. न्याय विभाग/राज्य सरकार/ PSUs से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में आवेदन कर सकते है।

02. राज्य सरकार के कार्मिक Deputation or Reverse Deputation पर अपने विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग हेतु :–

01. न्याय विभाग/राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में आवेदन कर सकते है।

02. राज्य सरकार के कार्मिक Deputation or Reverse Deputation पर अपने विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

न्याय विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे कर्मचारीगण विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त दोनों संवर्ग की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं कोटा न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संवर्गों में सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक **04.05.2023** तक इस कार्यालय में अपने पूर्व सेवा प्रमाण सहित (यदि कोई हो) आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : स्था./ 2023/3803-3873 दिनांक: 24 APR 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. जिला एंव सेशन न्यायाधीश.....
4. जिला कलेक्टर, कोटा को समस्त विभागों PSUs में सूचित करने हेतु।
5. कोटा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों/अधिकरणों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा
9. स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, कोटा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. अर्हताए
5. मूल विभाग का नाम
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद
7. अनुभव
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
   (एलपीसी संलग्न है)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न)
10. धारित पद का वेतनमान
    (सेवानिवृत्ति के समय)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
    (संलग्नानुसार)
12. स्थाई पता

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए बचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान:
दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी श्री.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती..... .....रू. मासिक मूल वेतन.....आहरित कर रहा था/ कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती.....के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील